न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 106 / 2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निबासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
3. भागीरथ पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
5. राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
6. कृष्ण पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
7. महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
8. रामरतन पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
9. विमला देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी कृपाल सिंह जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 12/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ेही मौजा चक 14 आर.डब्ल्यु.डी. पटवार हल्का थालड़का तहसील नोहर के खाता सं. 14 / 51 के प.न. 236 / [illegible] 16 व 17 की 0.5060 हैक्टर प.न. 237 / 389 मु.न. 19 के किला नं. 11 ता 25 [illegible] हैक्टर भूमि एवं प. न. 238 / 389 मु.न. 20 के किला नं. [illegible] 23 / 2 की कमाण्ड[illegible]0 हैक्टर एवं अनकामाण्ड 0.2350 हैक्टर भूमि कुल 26 किता की [illegible]3760 हैक्टर भूमि [illegible] युक्त तौर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल के पिता रामचन्द्र पुत्र श्रीराम यानि की अप्रार्थी स0 1 के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में सायल के दादा श्रीराम के नाम दर्ज थी उनके बाद उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी पटवार हल्का थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 14/51 की कुल 6.3760 हैक्ट में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 6 ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के [illegible] प्रार्थी के दादा श्रीराम के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि के अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के [illegible] भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान [illegible]श्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि मे जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति— अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी पटवार हल्का थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 14/51 की कुल 6.3760 हैक्ट भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 12/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:47:38 IST
Reason: SelfAttested